

## अनुसूची – अ

जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपये में राजन्डाप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक				दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6500.00	250.00	2300.00	88.46	8800.00	338.00	338.00	अकृशल
7057.00	271.42	2600.00	100.00	9657.00	371.00	371.00	अर्धकृशल
8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.00	424.00	कृशल
9735.00	374.42	2600.00	100.00	12335.00	474.00	474.00	उच्चकृशल

### स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राजन्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित विवाह के परिपत्र क्रमांक एक 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा विशेष टीप :- उत्तरुक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकती।
- (2) अकृशल श्रमिकों के लिए दराई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिला द्वारा निर्भरत ओपोरिय श्रमिकों के लिए अखिल मारतीय उपमोक्ता भूल्य सूचकांक 253 (2001-100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के आसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो आसत कृद्धि होती है उसी अनुपात में उपमोक्ता भूल्य सूचकांक में कृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अगस्त तीसी भी स्थिति हो प्रतिवर्ष भूल्य सूचकांक 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दरा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की दारा 12(1-ए)

टीप:- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 87 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-द में देखे।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

